

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्शियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302015)  
टेलीफैक्स.0141-2222403, ईमेल-dlbrajasthan@gmail.com वेबसाइट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- SPL-1

जयपुर, दिनांक:- 27.03.2020

आयुक्त/अधिशासी अधिकारी  
नगर निगम/परिषद/पालिका  
समस्त राजस्थान।

विषय:-वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (COVID-19) के कारण लागू लॉकडाउन में  
58 वर्ष या इससे अधिक आयु के सफाई कर्मियों को राहत प्रदान करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में लेख है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (COVID-19) के कारण उत्पन्न स्थिति को नियंत्रित करने हेतु 21 दिवस का लॉकडाउन किया जा चुका है।

पूर्व में विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों से प्रदेश में सम्पूर्ण साफ-सफाई एवं स्वच्छता बनाये रखने तथा सोडियम हॉइपोक्लाराईट के छिड़काव के निर्देश दिये गये हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई सलाह अनुसार यह वायरस अधिक उम्र के लोगों पर जल्दी असर करता है।

अतः माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार आपको निर्देशित किया जाता है कि स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से उक्त कोरोना वायरस का प्रकोप रहने तक सफाई कार्य में लगे 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के सफाई कर्मचारियों को फिल्ड ड्यूटी नहीं दी जाकर अन्य कार्यों में लगाया जावें।

(उज्ज्वल राठौड़)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:- SPL-1

जयपुर, दिनांक:- 27.03.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव